कार्यालय जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर।

पत्रांकः C-117 /66/मनरेगा-सेल/2016-17 दिनाँकः 14 अप्रैल, 2016

-:कार्यालय आदेशः-

विषयः मनरेगा योजनान्तर्गत "सिंचाई नहरों की सिल्ट सफाई एवं भूमि सुधार परियोजना" के संबंध में।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा जारी नवीनतम मार्ग निर्देश 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अध्याय-7 के पैरा 7.1.3 के द्वारा भूमि सुधार एवं सिंचाई नहरों की सिल्ट सफाई परियोजना अनुमन्य कार्यो की श्रेणी में है।

उक्त प्रकार के कार्यों को जनपद में कराये जाने हेतु समस्त खण्ड विकास अधिकारियों/अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों/अवर अभियंता/तकनीकी सहायकों/ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारियों की दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम जनपद स्तर पर दिनॉक 05.04.2016 एवं 07.04.2016 को आयोजित किया गया। जिसमें अधिशासी अभियंता, शारदा नहर खण्ड, शाहजहाँपुर एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, गोमती एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भूमि एवं जल संसाधन द्वारा इस योजना की विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी। भूमि सुधार एवं सिंचाई नहरों की सफाई परियोजना के कार्यो को जनपद में कराने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश निम्न प्रकार हैः-

1- सिंचाई नहरों की सफाई परियोजना के अन्तर्गत प्रत्येक तकनीकी सहायक और विकास खण्ड में तैनात अवर अभियंता 10-10 कार्यो का प्राक्कलन दिनॉक 30.04.2016 तक तैयार करेगें तथा मनरेगा गाइडलाइन के अनुसार उसे क्रियान्वित करेगें।

2- अनुसूची-1 के पैराग्राफ 1ग में निर्दिष्ट परिवारों द्वारा स्वामित्वाधीन भूमि पर खेत बॉध और भूमि विकास के कार्यो का प्रत्येक तकनीकी सहायक 10-10 प्राक्कलन दिनॉक 30.04.2016 तक तैयार करेगें।

3- सभी कार्यो पर कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व, कार्य चलते समय तथा कार्य होने के बाद के स्थायी बेंच मार्क के साथ फोटोग्राफ लिये जायेगें।

4- सभी कार्यो पर योजना के मार्ग निर्देशानुसार सक्षम स्तर की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृतियॉ नियमानुसार प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

5- सिंचाई नहरों की सफाई परियोजना के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन अधिशासी अभियंता, शारदा नहर खण्ड, शाहजहॉपुर द्वारा एवं भूमि सुधार खेत बॉध संबंधी कार्यो के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन भूमि संरक्षण अधिकारी, गोमती एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, भूमि एवं जल संसाधन विभाग द्वारा दिया जायेगा।

6- खण्ड विकास अधिकारी अपने विकास खण्ड के अन्तर्गत इस कार्य हेतु नोडल अधिकारी होगें तथा जॉबकार्ड, ई-मस्टर रोल आदि कार्यवाहियॉ पूर्ण कराते हुए कार्य को समय से पूर्ण करायेगें। कार्य का अनुश्रवण एवं प्रर्यवेक्षण हेतु एक एक्सल फाइल में प्रारूप तैयार कर पत्र के साथ संलग्न है, जिसमें 15 दिवस में संबंधित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी।

7- इस कार्यक्रम के जनपद पर उपायुक्त (श्रम रोजगार), शाहजहॉपुर नोडल अधिकारी होगें, जो खण्ड विकास अधिकारियों से योजना के समन्वय का कार्य करेंगें।

<u>संलग्नकः</u> 1-एक्सल प्रारूप।

(विजय किरन आनन्द),
जिलाधिकारी,
शाहजहॉपुर।

पृष्ठांकनः C-117 /तद्दिनॉक।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित के अनुपालनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, शाहजहॉपुर।
2. अधिशासी अभियंता, शारदा नहर खण्ड, शाहजहॉपुर।
3. भूमि संरक्षण अधिकारी, गोमती/ भूमि एवं जल संसाधन विभाग, शाहजहॉपुर।
4. उपायुक्त, (श्रम रोजगार), शाहजहॉपुर।
5. मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहॉपुर।
6. संयुक्त विकास आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
7. अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0 प्र0, लखनऊ की सेवा में सूचनार्थ।
8. आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली, की सेवा में सूचनार्थ।
9. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0, लखनऊ की सेवा में सूचनार्थ।
10. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ की सेवा में अवलोकनार्थ।

जिलाधिकारी,
शाहजहॉपुर।